

# Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 42-2018 Ext.] CHANDIGARH, SATURDAY, MARCH 10, 2018 (PHALGUNA 19, 1939 SAKA)

#### HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

#### **Notification**

The 10th March, 2018

**No. 15-HLA of 2018/15/4102.**— The Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill, 2018, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 15- HLA of 2018

## THE HARYANA URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY (AMENDMENT) BILL, 2018

 $\mathbf{A}$ 

Bill

further to amend the Haryana Urban Development Authority Act, 1977.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Act, 2018.

Short title.

2. In the long title of the Haryana Urban Development Authority Act, 1977 (hereinafter called the principal Act), for the words "URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY", the words "SHEHRI VIKAS PRADHIKARAN" shall be substituted.

Amendment of long title of Haryana Act 13 of 1977.

**3.** In the preamble to the principal Act, for the words "an Urban Development Authority", the words "Shehri Vikas Pradhikaran" shall be substituted.

Amendment of preamble to Haryana Act 13 of 1977.

**4.** In the short title of the principal Act, for the words "Urban Development Authority", the words "Shehri Vikas Pradhikaran" shall be substituted.

Amendment of short title of Haryana Act 13 of 1977.

Amendment of section 2 of Haryana Act 13 of 1977.

- 5. In section 2 of the principal Act,-
  - (i) clause (b) shall be omitted;
  - (ii) after clause (r), the following clause shall be inserted, namely:-
    - "(ra) "Pradhikaran" means the Haryana Shehri Vikas Pradhikaran constituted under sub-section (1) of section 3.".

Substitution of references to certain expressions by certain other expressions.

- **6.** In the principal Act, throughout the Act,—
  - (i) for the words "Urban Development Authority", wherever occurring, the words "Shehri Vikas Pradhikaran" shall be substituted; and
  - (ii) for the word "Authority", wherever occurring, the word "Pradhikaran" shall be substituted.

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana Urban Development Authority is a statutory body of Haryana Government which came into existence under the Haryana Urban Development Authority Act, 1977 under the name and style of Haryana Urban Development Authority and took over the responsibilities hither to being handled by the individual Government Departments. Prior to it, the works relating to planned development of the urban areas were being looked after by the Urban Estate Department, which used to function under the aegis of the Town and Country Planning Department. Its functioning was regulated by Punjab Urban Estate Development and Regulation Act, 1964.

During the review of the development works and the functioning of the Haryana Urban Development Authority by the State Government, it was felt that Hindi Version of the Haryana Urban Development Authority is Haryana Shehri Vikas Pradhikaran whereas Hindi and English Version should be same. Because, Haryana is a Hindi speaking State of the Union, therefore, the Haryana Urban Development Authority may be renamed as Haryana Shehri Vikas Pradhikaran.

Accordingly, amendments are being made in Haryana Urban Development Authority Act, 1977 to achieve the following objectives:-

The adopting of the Hindi version of Haryana Urban Development Authority as Haryana Shehri Vikas Pradhikaran in both the English and Hindi versions by way of amendments as the Haryana is a Hindi speaking State of the Union of India.

Hence, the bill.

MANOHAR LAL, Chief Minister, Haryana.
R.K. NANDAL, Secretary.

Chandigarh: The 10th March, 2018.

(प्राधिकृत अनुवाद)

#### 2018 का विधेयक संख्या-15 एच.एल.ए.

#### हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2018

हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम ।

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है।

1977 के हरियाणा अधिनियम 13 के वृहत् नाम का संशोधन। 2. हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) के वृहत् नाम में, ''नगरीय विकास प्राधिकरण'' शब्दों के स्थान पर, ''शहरी विकास प्राधिकरण'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

1977 के हरियाणा अधिनियम 13 की प्रस्तावना का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की प्रस्तावना में, "नगरीय विकास प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर, "शहरी विकास प्राधिकरण" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

1977 के हरियाणा अधिनियम 13 के संक्षिप्त नाम का संशोधन। 4. मूल अधिनियम के संक्षिप्त नाम में, ''नगरीय विकास प्राधिकरण'' शब्दों के स्थान पर, ''शहरी विकास प्राधिकरण'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

1977 के हरियाणा अधिनियम 13 की धारा 2 का संशोधन।

- **5.** मूल अधिनियम की धारा 2 में,—
  - (i) खण्ड (ख) का लोप कर दिया जाएगा ;
  - (ii) खण्ड (द) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :--

''(दक) ''प्राधिकरण'' से अभिप्राय है, धारा 3 की उप—धारा (1) के अधीन गठित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण।''।

कतिपय अन्य अभिव्यक्तियों द्वारा कतिपय अभिव्यक्तियों के संदर्भों का प्रतिस्थापन।

6. मूल अधिनियम में, सर्वत्र अधिनियम में, "नगरीय विकास प्राधिकरण" शब्द, जहां कहीं भी आयें, के स्थान पर, "शहरी विकास प्राधिकरण" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।"।

### उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा अर्बन डेवलेपमेंट अथोरिटी हरियाणा सरकार का एक वैधानिक निकाय है जो हरियाणा अर्बन डेवलेपमेंट अथोरिटी, अधिनियम, 1977 के अंतर्गत हरियाणा अर्बन डेवलेपमेंट अथोरिटी के नाम तथा शैली से अस्तित्व में आया एवं सन् 1962 से पूर्व एकाकी सरकारी विभागों द्वारा निभाई जाने वाली जि्म्मेवारियों को अपनाया। इससे पूर्व शहरी क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास से संबंधित कार्य शहरी सम्पदा विभाग द्वारा संचालित किए जाते थे जोकि नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के तत्वावधान में काम करता था। इसका कामकाज पंजाब शहरी सम्पदा विकास एवं विनियम अधिनियम, 1964 द्वारा विनियम किया जाता था।

राज्य सरकार द्वारा हरियाणा अर्बन डेवलेपमेंट अथोरिटी की गतिविधियों एवं विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान यह महसूस किया गया कि हरियाणा अर्बन डेवलेपमेंट अथोरिटी का हिन्दी रूपांतरण हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है जबिक अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण समान होना चाहिए। चूंकि हरियाणा संघीय भारत का एक हिन्दी भाषा प्रदेश है, अतः हरियाणा अर्बन डेवलेपमेंट अथोरिटी को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण नामित किया जाएं।

तदानुसार, हरियाणा अर्बन डेवलेपमेंट अथोरिटी, अधिनियम, 1977 में निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संशोधन किए जाते हैं:-

हरियाणा अर्बन डेवलेपमेंट अथोरिटी के हिंदी संस्करण हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को अंग्रेजी एवं हिन्दी संस्करणों में संशोधन के माध्यम से ग्रहित करना है क्योंकि हरियाणा संघीय भारत का एक हिंदी भाषी प्रान्त है।

अतः विधेयक प्रस्तृत किया जाता है।

मनोहर लाल, मुख्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़: दिनांक 10 मार्च, 2018. आर.के. नांदल, सचिव।